JDA JHANSI DEVELOPMENT AUTHORITY झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

Letter No. 1066 JDA/NGT/2024-25 Date :06 Aug, 2024

To,

The Registrar
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

Subject : Regarding Submission of Report on behalf of Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi in compliance of order dated 30.04.2024 in O.A. No. 918/2022 Narendra Kushwaha and Others versus Government of Uttar Pradesh and others.

Respected Sir,

In Compliance of directions of Hon'ble Tribunal in the above-captioned matter listed on 30.04.2024, please find enclosed herewith report on behalf of Vice Chairman, Jhansi Development Authority, Jhansi. It is kindly requested that the same may be placed before the Hon'ble Bench for consideration and necessary directions.

Enclosure : As above,

Yours Sincerely,

(Alok Yadav)
Vice Chairman
Jhansi Development Authority

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

संख्या–1066/जे.डी.ए./मा0रा0हरि0अधि0/(2024–25) दिनांक 06/08/2024

आख्या

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, के मूल प्रा0पत्र सं0–918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश 30.04.2024 के अनुपालन विषयक।

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में मूल प्राप्त पत्र सं0–918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 के अनुपालन में राजस्व ग्राम–बूढ़ा, झांसीखास एवं नयागांव में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के सर्वेक्षण का कार्य किया गया था तथा जिसमें अब तक कुल 2705अनाधिकृत निर्माण चिन्हित किये गये हैं, तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा चुके हैं। पूर्व में 849 अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। इसके अतिरिक्त दिनांक 30.04.2024 के आदेश के उपरान्त 1156 नये ध्वस्तीकरण आदेश जारी किये गये। इस प्रकार प्रकरण में अब तक कुल 2005 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जा चुके हैं।

इन अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं/भू–स्वामियों को पूर्व में अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के पश्चात 10 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी थी।

प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन एवं तैनात मजिस्ट्रेट के साथदिनांक 12.03.2024 को ध्वस्तीकरण के मामलों में ध्वस्तीकरण कार्य की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये 18अवैधनिर्माणधीन भवनों को ध्वस्त किया गया।

NGT_1

Scanned with OKEN Scanner

प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दिनांक 09.07.2024 को ध्वस्तीकरण के मामलों में ध्वस्तीकरण कार्य की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु भारी जन विरोध का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक प्रतिरोध के कारण अग्रिम ध्वस्तीकरण में पूर्णतः अवरोध उत्पन्न कर दिया गया जिससे स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही रोकनी पडी।

दिनांक 12.07.2024 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन के साथ पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान ध्वस्तीकरण दल के समक्ष आक्रोशित व्यक्तियों द्वारा प्रतिरोध उत्पन्न करने पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुनः रोकनी पड़ी।

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 16.07.2024 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन के साथ पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही क्षेत्रवासियों द्वारा प्रबल विरोध के चलते किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

पूर्व निर्धारित ध्वस्तीकरण कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 19.07.2024 को प्राधिकरण के प्रवर्तन दल तथा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में कार्यवाही के दौरान भारी जन विरोध का सामना करना पड़ा।जिस कारण किसी भी प्रकार का ध्वस्तीकरण संपादित नहीं हो सका।

I

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 23.07.2024 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन के साथ पुनः ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सार्वजनिक प्रतिरोध के कारण अग्रिम ध्वस्तीकरण में पूर्णतः अवरोध उत्पन्न कर दिया गया, जिससे शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी और किसी प्रकार की जनहानि न होने पाये इसलिये स्थल पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पुनः रोकनी पड़ी।

प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कई रिट याचिकायें माननीय ट्रब्यूनल व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें प्रभावित पक्षकारों को सुने जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय ट्रब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–54 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए धारा–54 में वर्णित सिद्धान्तों पर निर्णय लिए जानें की प्रार्थना की गई है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकायें स्वीकृत करते हुए सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष 633 याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें 390 प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 54 में वर्णित विधि व्यवस्था, जिसके अनुसार योजना के प्रवर्तित होने की तिथि से 10 वर्ष व्यतीत होने पर यदि भूस्वामी राज्य सरकार को नोटिस देता है तथा राज्य सरकार 06 माह में भूमि अर्जित करने में विफल होती है, तब अनिवार्य अर्जन के अधीन परिकल्पित नहीं की जायेगी।

प्राधिकरण द्वारा 1156 नये ध्वस्तीकरण हेतु आदेश पारित किये गये है जो अब तक कुल 2005 हैं, जिनमेंमा0 उच्च न्यायालय के समक्ष 633 याचिकाए प्रस्तुत हुई जिसमें 390 प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में तथा 75 अपील मा0 आयुक्त न्यायालय में लम्बित हैं।

इस प्रकार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–54 में दी गयी व्यवस्था के आलोक में मा0 उच्च न्यायालय में पारित 390 आदेश एवं मा0 न्यायालय आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी के समक्ष भी 75 अपीलों सहित प्रकरण सक्षम स्तर पर निस्तारण हेतु लंबित है।

इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा अब तक 2705 नोटिस जारी किये गये हैं जिसके सापेक्ष अद्यतन 2005 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं, जिनके अनुपालन के सम्बन्ध में उपलब्ध संसाधनों के साथ पुलिस, प्रशासन से आवश्यक सहयोग लेकर जनसामान्य के प्रबल विरोध के बावजूद प्राधिकरण द्वारा निरन्तर सघन्य प्रयास किये जा रहे हैं।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण,झाँसी

NGT_4

Scanned with OKEN Scanner

Item No.07 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 918/2022
(I.A. No.107/2024)

Narendra Kushwaha Applicant

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 30.04.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON**
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Akash Vashishtha, Adv.

Respondent: Mr. Vivek K. Tankha, Senior Advocate with Mr. Sumeer Sodhi, Mr. Rohit Sthalekar, Mr. Arjun Nanda & Mr. Vipul Tiwari, Advs. for Jhansi Development Authority
Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon & Mr. Chetan Jadon, Advs. for the State of UP
Mr. Gaurav Jain & Mr. Anuj Bhandari, Advs. in IA No. 107/2024
Mr. R.R. Kumar & Mr. Yogesh Gupta, Advs. for JDA
Mr. Arvind Kumar, Adv. for UPPCB (Through VC)

ORDER

1. In this original application, the issue of encroachment on green belt and park at Araji no. of Mauja, Dadiapura, Jhansi Khas, Vudha, Pichor and Nayagaon is involved.

2. The Tribunal had constituted a Joint Committee which had submitted its report disclosing that there were as many as 2705 unauthorized constructions on the park and that the demolition orders till the time of filing the report by the Joint Committee were issued in 312 cases and earlier 337 such orders were passed.

3. When the matter was taken upon 03.01.2024, Vice Chairman, Jhansi Development Authority (JDA) had appeared virtually and had

Scanned with OKEN Scanner

stated that the action will be taken in respect of other unauthorized constructions expeditiously and the process will be completed within a period of six months. Hence, the Vice Chairman, JDA was directed to file an affidavit indicating the timeline for completing action against unauthorized constructions identified on the park in question.

4. In terms of the said order, the affidavit dated 26.02.2024 has been filed disclosing that notices have been issued to occupants/owners of 2705 unauthorised constructions and demolition orders have been passed in respect of 649 such constructions and after 03.01.2024, further demolition orders in respect of 200 matters have been passed. Thus, total 849 demolition orders were passed till the date of filing of the affidavit. The affidavit further reveals that more than 633 occupants/owners of unauthorized constructions have approached Allahabad High Court and about 345 stay orders have been received and about 65 Appeals are pending in the matter before the Appellate Tribunal.

5. In the said background, it is stated in the affidavit that as per the assessment of Vice Chairman, the process will require about 8-10 months, subject to resolution of dispute raised by the owners/occupants before the High Court.

6. We are of the opinion that the timeline of 8-10 months is quite long and expeditious action is required to be taken. It has been suggested by learned Senior Counsel appearing for Vice Chairman, JDA that the entire exercise can be completed in phased manner.

7. The original stand of Vice Chairman, JDA recorded in the order dated 03.01.2024 was that the action will be completed within six months and that time period has not expired till now. Hence, we require

Scanned with OKEN Scanner

the Vice Chairman, JDA to take expeditious action and file action taken report at least one week before the next date of hearing.

8. IA No. 107/2024 has been filed by some of the residents of that area without disclosing the details of the Applicants in the cause title. Hence, learned Counsel for the Applicant seeks time to amend the IA and cure the defect.

9. List on 09.08.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 30, 2024
Original Application No. 918/2022
(I.A. No.107/2024)
DV

Scanned with OKEN Scanner